



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2689]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938

No. 2689]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

का.आ. 3452(अ) .— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग की अधिसूचना संख्या का.आ. 946(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2012, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

टोल प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान के स्थान पर	टोल प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान पढ़ा जाए
351.440, कि.मी. मालदा, में चकसेहर्दी गाँव के निकट	351.440, कि.मी. मालदा, में बागसराय गाँव के निकट

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/619/11-12/सीओ/जीसी/फरक्का-रायगंज(295-398)बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2016

**S.O. 3452(E).**— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways bearing S.O. No. 946(E), dated 30th April 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
Km. 351.440, near Chakseherdi Village in Malda.	Km. 351.440, near Bagsarai Village in Malda.

[NHAI/13013/619/11-12/CO/GC Farakka-Raiganj (295-398)BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.